न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 07/2014

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री कान्तिलाल पुत्र श्री गोदाजी जाति कोली निवासी मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही।
2. श्री जोयताराम पुत्र श्री भाराजी जाति चौधरी निवास साणन्द अहमदाबाद गुजरात।
3. श्री जुज्जरभाई बोहरा पुत्र श्री युसुफभाई बोहरा जाति मुसलमान निवासी मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही।
4. श्री मोहनलाल पुत्र श्री नरसाजी माली निवासी भाटकडा सिरोही कर्मचारी सिरोही गैस सर्विस सिरोहीं
5. श्री नरपतसिंह प्रो. मैसर्स सिरोही गैस सर्विस सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री, अभियोजन अधिकारी, सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक, तीन व पांच की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2014 को जिला रसद अधिकारी सिरोही को सूचना मिली कि सिरोही से मण्डार की तरफ जाने वाली एक सफेद रंग की पिकअप गाडी संख्या जीजे 01 बीएक्स 8711 को अनादरा थाने पर रूकवाकर तलाशी लेने पर उसमें 20 घरेलू सिलेण्डर भरे हुए पाए गए, जिसे अनादरा थाना परिसर के अन्दर खडा करवाया गया है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने एवं परिवहन करने पर उक्त सभी 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक व पांच को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक, तीन व पांच की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मि[illegible] गया। अप्रार्थी संख्या दो व चार द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के इस [illegible]लय [illegible] उपस्थिति नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या दो व चार का जवाब देने का अवस[illegible] किया जाकर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई [illegible] पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी संख्या एक, तीन व पांच के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 20.09.2014 को अनादरा पुलिस थाने से जिला रसद अधिकारी सिरोही को दूरभाष पर सूचना मिली कि सिरोही से मण्डार की तरफ जाने वाली एक सफेद रंग की पिकअप गाडी संख्या जीजे 01 बीएक्स 8711 को अनादरा थाने पर रूकवाकर तलाशी लेने पर उसमें 20 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए, जिसे अनादरा थाना परिसर के अन्दर खडा करवाया गया है। उक्त सूचना के आधार पर प्रार्थी के द्वारा मौके पर पहुंचने पर थाना परिसर के अन्दर एक सफेद रंग की पिकअप गाडी संख्या जीजे 01 बीएक्स 8711 खडी थी, जिसमें पीछे लोडिंग डाले में एच.पी.सी.एल. कम्पनी के 20 घरेलू गैस सिलेण्डर आडे पडे हुए थे, जो सभी सील पैक थे, जिन पर आसमानी रंग की प्लॉस्टिक की सील लगी हुई थी। मौके पर गाडी का ड्राईवर अप्रार्थी संख्या एक श्री कान्तिलाल पुत्र श्री गोदाजी उपस्थित मिला, जिससे उक्त 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि वह गाडी को सिलेण्डर सहित मण्डार में उसके सेठ श्री जुज्जरभाई बोहरा द्वारा सुपूर्द कर कहा कि उक्त पिकअप मय खाली सिलेण्डर सिरोही ले जाकर सिरोही गैस सर्विस के गोयली रोड स्थित गोदाम से भरवाकर (रिफिल) वापिस मण्डार लेकर आना है। इस पर अप्रार्थी संख्या एक 20 खाली सिलेण्डर लेकर मण्डार से रवाना होकर सिरोही गैस सर्विस सिरोही के गोदाम पर पहुंचा, जहां गोदाम पर एजेन्सी का कर्मचारी अप्रार्थी संख्या चार श्री मोहनलाल पुत्र श्री नरसाजी मिला, जिसने ड्राईवर से प्रति सिलेण्डर 400/- रूपए की दर से कुल 8000/- रूपए नगद दिए एवं श्री मोहनलाल ने पिकअप में रखे 20 खाली सिलेण्डरों को उतरवाकर पिकअप में 20 भरे हुए सीलबन्द घरेलू गैस सिलेण्डर गोदाम में मौजूद मजदूरों की सहायता से रखवाए। ड्राईवर ने बताया कि उसके पास उक्त 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित कोई कागजात एवं डायरी एवं बिल नहीं था। एजेन्सी के कर्मचारी श्री मोहनलाल द्वारा बिना डायरी में इन्द्राज किए उपरोक्त सिलेण्डरों को रिफिल करवाकर पिकअप में रखवाए गए थे। गाडी ड्राईवर श्री कान्तिलाल सिरोही गैस सर्विस सिरोही के गोदाम से उक्त 20 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डरों को लेकर मण्डार के लिए निकला, जिसे पुलिस थाना अनादरा द्वारा रूकवाकर तलाशी लेकर थाना परिसर में खडा करवाया गया। गाडी ड्राईवर श्री कान्तिलाल ने बताया कि वह इससे पूर्व भी इसी पिकअप गाडी से सिरोही गैस सर्विस सिरोही के गोदाम से तीन-चार बार नगद भुगतान कर खाली के बदले भरे हुए गैस सिलेण्डर ला चुका है एवं वो यह कार्य सेठ श्री जुज्जरभाई बोहरा पुत्र श्री युसुफभाई बोहरा निवासी मण्डार के लिए करता है। मौके पर पिकअप में मौजूद एच. पी.सी.एल. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित ब्ल्यू-बुक/डायरी/बिल व अन्य कागजात मांगने पर ड्राईवर ने अपने पास कोई कागजात होने से इन्कार कर दिया। मौके पर ड्राईवर अप्रार्थी संख्या एक श्री कान्तिलाल एवं अप्रार्थी संख्या तीन श्री जुज्जरभाई बोहरा द्वारा पिकअप गाडी की छाया प्रति प्रस्तुत की, जो अप्रार्थी संख्या दो श्री जोयताराम पुत्र श्री भाराजी के नाम रजिस्टर्ड थी। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण, परिवहन तथा सरकार द्वारा भारी सब्सिडी प्राप्त करने की नियत से अवैध कार्यवाही की जा रही थी। अतः अप्रार्थी द्वारा बडी मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण व परिवहन किया जाने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु [illegible] 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त [illegible] सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार [illegible] सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:36 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या एक, तीन एवं पांच के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया कि पुलिस थाना अनादरा के अधिकारी ने वाहन को गलत तरीके से रोककर जिला रसद अधिकारी से

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सिलेण्डर जब्त करवाए गए थे, जबकि उक्त सभी सिलेण्डर उपभोक्ताओं के थे तथा विधि अनुसार भरवाए जाकर परिवहन किए जा रहे थे। उक्त सभी सिलेण्डर उपभोक्ताओं को श्रीमान न्यायालय द्वारा सुपूर्द किए जा चुके है। यह कि सिरोही गैस सर्विस ऑफिस पर उपभोक्ताओं द्वारा बिल कटवाकर गोदाम पर लाते थे, जिसका उपभोक्ता उनकी ब्ल्यू डायरी में इन्द्राज कर व उपभोक्ताओं को सिलेण्डर तोलकर कम्पनी द्वारा दिया जाता रहा है। सिरोही की दूर दराज के गांव में जहां सिलेण्डरों की सप्लाई किया जाना सम्भव नहीं है, वहां के उपभोक्ताअें द्वारा किराए की गाडी में अपने सिलेण्डर भरवाने आते थे तथा उनसे खाली सिलेण्डर प्राप्त कर भरा हुआ सिलेण्डर दिया जाता था। गाडी का किराया उपभोक्ताओं के द्वारा ही वहन किया जाता था। अप्रार्थी द्वारा किसी भी उपभोक्ता से बिल रेट से अधिक राशि प्राप्त नहीं की जाती थी, बिल व डायरी उपभोक्ताओं के पास ही रहती थी। यह कि प्रार्थना पत्र में लगाया गया आरोप गलत है कि बिना बिल रूपए 400/– प्रति सिलेण्डर प्राप्त कर उक्त सिलेण्डर गोदाम से भरे गए थे। अप्रार्थी संख्या एक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है एवं न ही किसी अधिनियम का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमाकर सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को सुपूर्द करने का आदेश प्रदान करावें।

मैने प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी संख्या एक, तीन व पांच के अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2014 को अनादरा पुलिस थाने से जिला रसद अधिकारी सिरोही को दूरभाष पर सूचना मिली कि सिरोही से मण्डार की तरफ जाने वाली एक सफेद रंग की पिकअप गाडी संख्या जीजे 01 बीएक्स 8711 को अनादरा थाने पर रूकवाया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 20 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए, जिसे अनादरा थाना परिसर के अन्दर खडा करवाया गया है। उक्त सूचना के आधार पर प्रार्थी के द्वारा मौके पर पहुंचने पर थाना परिसर के अन्दर एक सफेद रंग की पिकअप गाडी संख्या जीजे 01 बीएक्स 8711 खडी थी, जिसमें पीछे लोडिंग डाले में एस.पी.सी.एल. कम्पनी के 20 घरेलू गैस सिलेण्डर आडे पडे हुए थे, जो सभी सील पैक थे, जिन पर आसमानी रंग की प्लॉस्टिक की सील लगी हुई थी। मौके पर गाडी का ड्राईवर अप्रार्थी संख्या एक श्री कान्तिलाल पुत्र श्री गोदाजी उपस्थित मिला, जिससे उक्त 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि उसे गाडी को सिलेण्डर सहित मण्डार में उसके सेठ अप्रार्थी संख्या तीन श्री जुज्जरभाई बोहरा द्वारा सुपूर्द कर कहा कि उक्त पिकअप मय खाली सिलेण्डर सिरोही ले जाकर सिरोही गैस सर्विस के गोयली रोड स्थित गोदाम से भरवाकर (रिफिल) वापिस मण्डार लेकर आना है। इस पर अप्रार्थी संख्या एक 20 खाली सिलेण्डर लेकर मण्डार से रवाना होकर सिरोही गैस सर्विस सिरोही के गोदाम पर पहुंचा, जहां गोदाम पर एजेन्सी का कर्मचारी अप्रार्थी संख्या चार श्री मोहनलाल पुत्र श्री नरसाजी मिला, जिसने ड्राईवर अप्रार्थी संख्या एक से प्रति सिलेण्डर 400/– रूपए की दर से कुल 8000/– रूपए नगद दिए एवं अप्रार्थी संख्या चार श्री मोहनलाल ने पिकअप में रखे 20 खाली सिलेण्डरों को उतरवाकर पिकअप में 20 भरे हुए सीलबन्द घरेलू गैस सिलेण्डर गोदाम में मौजूद मजदूरों की सहायता से रखवाए। अप्रार्थी संख्या एक ने बताया कि उसके पास उक्त 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित कोई कागजात एवं डायरी एवं बिल नहीं था। एजेन्सी [illegible] अप्रार्थी संख्या चार श्री मोहनलाल द्वारा बिना डायरी में इन्द्राज किए उप[illegible] सि[illegible]रों को रिफिल करवाकर पिकअप में रखवाए गए थे। गाडी ड्राईवर अप्रार्थी [illegible] एक श्री कान्तिलाल सिरोही गैस सर्विस सिरोही के गोदाम से उक्त 20 भरे [illegible] गैस सिलेण्डरों को लेकर मण्डार के लिए निकला, जिसे [illegible] द्वारा रूकवाकर तलाशी लेकर थाना परिसर में खडा करवाया गया। अप्रार्थी संख्या एक ने बताया कि वह इससे पूर्व भी इसी पिकअप गाडी से सिरोही गैस सर्विस सिरोही के गोदाम से तीन–चार बार नगद भुगतान कर खाली के बदले भरे हुए गैस सिलेण्डर ला चुका है एवं वो यह कार्य सेठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या तीन श्री जुज्जरभाई बोहरा पुत्र श्री युसुफभाई बोहरा निवासी मण्डार के लिए करता है। मौके पर पिकअप में मौजूद एच.पी.सी.एल. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित ब्ल्यू–बुक/डायरी/बिल व अन्य कागजात मांगने पर अप्रार्थी संख्या एक ने अपने पास कोई कागजात होने से इन्कार कर दिया। मौके पर ड्राईवर अप्रार्थी संख्या एक श्री कान्तिलाल एवं अप्रार्थी संख्या तीन श्री जुज्जरभाई बोहरा द्वारा पिकअप गाडी की छाया प्रति प्रस्तुत की, जो अप्रार्थी संख्या दो श्री जोयताराम पुत्र श्री भाराजी के नाम रजिस्टर्ड थी। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण, परिवहन तथा सरकार द्वारा भारी सब्सिडी प्राप्त करने की नियत से अवैध कार्यवाही किया जाना पाया जाता है।

इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त सभी सिलेण्डर उपभोक्ताओं थे, जिन्हें सिरोही गैस सर्विस ऑफिस पर उपभोक्ताओं द्वारा बिल कटवाकर गोदाम पर लाते थे, जिसका उपभोक्ता उनकी ब्ल्यू डायरी में इन्द्राज कर व उपभोक्ताओं को सिलेण्डर तोलकर कम्पनी द्वारा दिया जाता रहा है एवं सिरोही की दूर दराज के गांव में जहां सिलेण्डरों की सप्लाई किया जाना सम्भव नहीं है, वहां के उपभोक्ताओं द्वारा किराए की गाडी में अपने सिलेण्डर भरवाने आते थे तथा उनसे खाली सिलेण्डर प्राप्त कर भरा हुआ सिलेण्डर दिया जाता था। गाडी का किराया भी उपभोक्ताओं के द्वारा ही वहन किया जाता था। चूंकि किसी भी गैस एजेन्सी से उपभोक्ताओं के सिलेण्डरों का भरवाने का कार्य गैस एजेन्सी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक को किसी भी गैस एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं के सिलेण्डरों को भरवाने हेतु अधिकृत किया गया हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने बयानों में यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त सिलेण्डरों को उसने सिरोही गैस सर्विस के गोयली रोड स्थित गोदाम से खाली सिलेण्डरों के बदले में रिफिल करवाया है, जिसके लिए उसने गोदाम पर एजेन्सी का कर्मचारी अप्रार्थी संख्या चार श्री मोहनलाल पुत्र श्री नरसाजी को प्रति सिलेण्डर 400/– रूपए की दर से कुल 8000/– रूपए का नगद भुगतान किया है एवं वह यह कार्य उसके सेठ अप्रार्थी संख्या तीन के लिए करता है। अप्रार्थी संख्या एक ने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया है कि वह इससे पूर्व भी इसी पिकअप गाडी से सिरोही गैस सर्विस सिरोही के गोदाम से तीन–चार बार नगद भुगतान कर खाली के बदले भरे हुए गैस सिलेण्डर ला चुका है।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा बडी मात्रा में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं परिवहन एवं सरकार द्वारा भारी सब्सिडी प्राप्त करने की नियत से अवैध कार्यवाही का कार्य बिना किसी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के द्वारा किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का [illegible] किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये कुल 20 [illegible] का अधिहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि इस कार्यालय द्वारा कब्जे सरकार लिए गए 20 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहन संख्या जीजे 01 बीएक्स 8711 को जमानत एवं सुपूर्दगीनामे पर दे दिया है। अतः जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी से प्राप्त कर सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे। अप्रार्थी द्वारा 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों नहीं दिए जाने की स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में पेश की गई जमानत को जब्त किया जाकर सिलेण्डरों के बराबर राशि वसूल की जावे।

साथ ही जिला रसद अधिकारी, सिरोही को यह भी निर्देश दिए जाते है कि सिरोही गैस सर्विस सिरोही द्वारा बिना डायरी में इन्द्राज किए उपरोक्त सिलेण्डरों को रिफिल करवाया गया है। अतः उक्त गैस एजेन्सी सिरोही गैस सर्विस सिरोही की इस सम्बन्ध में जांच करें और यदि इनके द्वारा उल्लघंन किया जाना पाया जाता है इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:15:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner